न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : अरूण पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 179/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– स्व0 नारायणराम के उतराधिकारी– 1.1–श्रीमती मीमा पत्नी स्व0 नारायणराम जाति मेगवाल निवासी नेतडा, तहसील बावडी जिला जोधपुर 1.2–श्रीमती बगु पुत्री नारायणराम पत्नी दुर्गाराम जाति मेगवाल निवासी अणवाणा तहसील बावडी, जिला जोधपुर 1.3–सोहनी पुत्री नारायणराम पत्नी मोहनंराम जाति मेगवाल निवासी जोईन्तरा तहसील बावडी, जिला जोधपुर 2– स्व0मांगीलाल के उतराधिकारी– 2.1– जगदीश पुत्र स्व0 मांगीलाल 2.2– घनश्याम पुत्र स्व0 मांगीलाल 2.3– गोरखराम पुत्र स्व0 मांगीलाल 2.4– श्रवणराम पुत्र स्व0 मांगीलाल 2.5– दाखु पत्नी स्व0 मांगीलाल 2.6– मीरा पुत्री स्व0 मांगीलाल 2.7– चुकी पुत्री स्व0 मांगीलाल 2.8– शांति पुत्री स्व0 मांगीलाल 2.9– सन्तु पुत्री स्व0 मांगीलाल 3– उगाराम पुत्र मोडाराम सभी जातियान मेगवाल निवासी ग्राम नेतडा तहसील बावडी जिला जोधपुर		1– ग्राम पंचायत नेतडा, पंचायत समिति बावडी, जिला जोधपुर 2– लाबुराम पुत्र भोमाराम 3– भंवराराम पुत्र नेनाराम जातियान जाट निवासीगण ग्राम नेतडा तहसील बावडी, जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी बावडी जो राजस्व अपील संख्या 01/2012 अनवान नारायणराम वगैरा बनाम ग्राम पंचायत नेतडा वगैरा मे दिनांक 05–06–2017 को पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1–श्री आर.पी.चौधरी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2–रेस्पो0गण बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 13–11–2020

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के अपीलांटगण संख्या 1 तथा अपीलांटगण संख्या 2 के पिता व पति तथा अपीलांट संख्या 3 ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर भोपालगढ के समक्ष ग्राम नेतडा हाल तहसील बावडी के नामांतरकरण संख्या 274 पर सरपंच ग्राम पंचायत नेतडा द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 15–5–1969 के विरूद्ध वर्ष 2012 मे प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश की । तत्पश्चात नवसृजित उपखण्ड अधिकारी कार्यालय बावडी मे उक्त अपील की सुनवाई हेतु दिनांक 1–7–2016 को स्थानांतररित हुई तथा उपखण्ड अधिकारी बावडी ने उक्त प्रथम अपील को राजस्व लोक

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अदालत न्याय आपके द्वार 2017 मे रखते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 5–6–2017 के द्वारा उक्त अपील को मयाद बाहर होना मानते हुए खारीज कर दी । जिससे व्यथित होकर अपीलांटगण ने वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

उक्त अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0गण संख्या 1 से 3 के सम्मन जारी किये तथा बार–बार जारी किये जाने पर भी तामिल नही होने पर रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये फिर भी रेस्पो0गण की ओर से कोई उपस्थित नही आने पर अपीलांट अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांटगण की पुश्तैनी खातेदारी की भूमि ग्राम नेतडा पूर्व तहसील भोपालगढ एवं वर्तमान तहसील बावडी के खसरा नंबर 621 रकबा 23 बीघा भूमि आई हुई है जिसमे अपीलांटगण अपनी रहवासीय मकान मे निवास करते है तथा शेष भूमि पर कृषि कार्य करते है तथा कथन किया कि अपीलांटगण जाति से मेगवाल है, जो अनुसुचित जाति के सदस्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस मे कथन किया कि वर्तमान रेस्पो0 संख्या 2 से 3 ने अपने सहयोगी धोकलराम पुत्र चौथाराम के सांठगांठ कर विधिविरूद्ध एवं धोखे से अपीलांटगण के खातेदारी की भूमि हडपने की नियत से अपीलांटगण के पूर्वजो की जाति मेगवाल के स्थान पर गलत जाति माली लिखते हुए विधिविरूद्ध दिनांक 26–3–1969 को एक बेचाननामा तैयार करवाकर रजिस्टर्ड करवा लिया तथा बिना कब्जे के ही राजस्व कर्मचारियो से मिलीभगत कर अपीलांटगण के पूर्वजो के स्थान पर रेस्पो0 संख्या 2 व धोकलराम ने अपना नाम इन्द्राज करवा लिया, तथा जो प्रांरभ से ही विधिविरूद्ध था ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 2 ने उक्त भूमि को बाद मे तथाकथित फर्जी खरीददार धोकलराम का हिस्सा बेचाननामा के जरिये रेस्पो0 संख्या 2 के नाम करवा दिया । वकील अपीलांट ने कथन किया कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 42 (बी) मे यह स्पष्ट प्रावधान दिया हुआ है कि अनुसुचित जाति की भूमि स्वर्ण जाति के व्यक्ति के नाम किसी भी स्त्रोत से खरीदी नही जा सकती है और न ही अनुसुचित जाति के व्यक्ति के स्थान पर स्वर्ण जाति के व्यक्ति का कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड मे नाम इन्द्राज किया जा सकता है । वकील अपीलांट ने कथन किया कि यदि कानून को नजर अंदाज कर छल कपट एवं धोखे से कोई बेचाननामा करवा भी लिया जाता है तो उक्त बेचाननामा प्रारंभ से ही शून्य एवं अवेद्य होगा तथा ऐसे बेचान का कानून मे कोई महत्व नही होगा । अपीलांटगण की जाति मेगवाल है जो अनुसुचित जाति का सदस्य होते हुए अपीलांटगण की भूमि फर्जी एवं कूटरचित तरीके से स्वर्ण जाति के नाम दर्ज की गई है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानो को नजरअंदाज करते हुए जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाधीन भूमि के संबंध मे निष्पादित विधिविरूद्ध बेचाननामे के आधार पर भरे गये म्युटेशन संख्या 274 दिनांक 15–5–1969 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत अपील को अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानो को नजर अंदाज करते हुए तथा अपीलांटगण एवं उनके अधिवक्ता को सुनवाई

का अवसर दिये बिना पत्रावली को केम्प कोर्ट मे नेतडा मे ले जाकर अपील को मयाद बाहर मानते हुए एकपक्षीय आदेश पारित करते हुए अपीलांट की प्रथम अपील को विधिविरूद्ध तरीके से खारीज किया है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलांट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत अपील मीमो के के पैरा संख्या 7 मे स्पष्ट उल्लेख किया कि अपीलाधीन म्युटेशन आदेश रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा दिनांक 15–5–1969 को पारित किया गया था वह स्वमेव प्रभावशून्य एवं विधिविरूद्ध होने से ऐसे विधिविरूद्ध आदेशो के विरूद्ध अपील पेश करने मे मयाद का प्रश्न पैदा नही होता है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त कथनो पर गौर किये बिना अपीलांट की प्रथम अपील को केवल मयाद के बिन्दु पर खारीज कर दिया जबकि माननीय न्यायालयो ने विभिन्न प्रकरणो मे ऐसा अभिमत पारित किया है कि पक्षकार को केवल मयाद बिन्दु के आधार पर न्याय से वंचित नही किया जाना चाहिये प्रकरण की मेरिट को भी देखा जाना आवश्यक है । इस संबंध मे वकील अपीलांट ने बहस के समर्थन मे आर.आर.डी. 1994 पेज 604, आर.आर.डी. 1994 पेज 606, आर.आर.टी. 2018–19 (सप्ली) पेज 145 एवं आर.आर.डी. 1999 पेज 319 की निर्णय नजीरे प्रस्तुत करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका की ओर न्यायालय का ध्यान दिलाया तथा कथन किया कि पत्रावली जो कि दिनांक 1–5–2017 तक सीलनुमा आदेशिका के साथ नियमित कोर्ट मे चल रही थी जिसे कोर्ट केम्प मे रखने का कोई आदेश आदेशिका मे पारित किये बिना तथा अपीलांटगण को कोर्ट केम्प मे उपस्थित होने बाबत पक्षकारो अथवा पक्षकारो के अधिवक्ता को कोई नोटिस दिये बिना तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना ही पत्रावली को केम्प कोर्ट मे रखते हुए प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय नही करते हुए अपील को केवल मयाद बाहर होना मानते हुए खारीज करने मे विधिक भूल की है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नही होने से उसे निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध मूल नामांतरकरण संख्या 274 ग्राम नेतडा की ओर ध्यान दिलाया तथा कथन किया कि उक्त म्युटेशन के कॉलम संख्या 5 मे अपीलांटगण के पूर्वज मोडाराम पुत्र धनाराम जाति भांबी लिखी हुई है तथा अपीलाधीन म्युटेशन बेचान के आधार पर स्वीकृत हुआ है तथा उक्त म्युटेशन के कॉलम संख्या 11 मे केता के नाम के आगे जाति पर स्याही डालकर जाति छुपाने की कोशिश की गई है इसलिए जब अपीलाधीन भूमि का बेचान ही आर.टी.एक्ट की धारा 42(बी) का उल्लंधन करते हुए निष्पादित किया हुआ होने से उक्त बेचान प्रारंभ से ही प्रभावशून्य है तथा ऐसे बेचान के आधार पर स्वीकृत म्युटेशन भी त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य होते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गौर किये बिना अपीलांट की अपील को सरसरी तौर पर खारीज करने मे विधिक भूल की है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही के

दौरान अपीलांट संख्या 1 नारायणलाल का देहांत हो चुका था परंतु उसके कायम मुकाम को रेकर्ड पर लिये बिना ही एक मृत व्यक्ति के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय की जानकारी न्यायालय हाजा के रीडर से प्रकरण की आगामी पेशी के बारे मे पूछने पर उनके द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित होने की सर्वप्रथम जानकारी होते ही उक्त अपील इस न्यायालय मे धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र के पेश की है जिसे अंदर मयाद सुमार करते हुए अपीलांट की उक्त अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बावडी द्वारा दिनांक 5–6–2017 को पारित एकतरफा आदेश एवं म्युटेशन संख्या 274 ग्राम नेतडा पर सरपंच ग्राम पंचायत नेतडा द्वारा दिनांक 15–5–1969 को निरस्त कर राजस्व रेकर्ड मे अपीलांटगण का नाम दर्ज करने का निवेदन किया ।

हमने अपीलांट अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 5–6–2017 जो कि राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प कोर्ट नेतडा मे एकतरफा पारित किया है, उसका भी अवलोकन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे नत्थी मूल नामांतरकरण संख्या 274 का भी अवलोकन किया तथा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा बहस के समर्थन मे मयाद के संबंध मे प्रस्तुत निर्णय नजीरो का भी ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

प्रारंभिक तौर पर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसकी आदेशिकाओ का अवलोकन करने पर यह प्रकट है अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील दिनांक 29–2–2012 से विचाराधीन थी तथा अपीलांट एवं रेस्पो0गण की ओर से अधिवक्तागण भी उपस्थित हो रहे थे तथा अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 20–7–2012 के जरिये अपीलांट के पक्ष मे अपीलाधीन भूमि के संबंध मे राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति के अग्रिम आदेश तक पारित किये हुए है तथा पत्रावली नियमित कोर्ट उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ मे चलती रही तथा उसके बाद नवसृजित उपखण्ड अधिकारी कार्यालय बावडी मे उक्त अपील पत्रावली स्थानांतरित हुई जो जिसमे दिनांक 5–10–2016 से दिनांक 1–5–17 तक सीलनुमा आदेशिकाओं के जरिये पेशियां इल्तवा होती रही तथा उसके पश्चात पत्रावली सीधे दिनांक 5–6–17 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2017 के केम्प कोर्ट नेतडा मे रखते हुए अपील को 40 वर्ष के विलंब से पेश की गई होने का उल्लेख करते हुए अपील को प्रथमदृष्टियां मयाद बाहर मानते हुए खारीज की गई है, जो अपीलांट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निर्णय नजीरो मे दिये गये अभिमत अनुसार समर्थन योग्य नही माना जा सकता है ।

अति० संभागीय आयुक्त
बीकानेर

प्रस्तुत प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसकी आदेशिकाओ का अवलोकन करने से उसमे उक्त प्रकरण को केम्प कोर्ट नेतडा मे रखने बाबत पक्षकारो को नोटिस जारी करने का न तो कोई आदेशिका मे आदेश है और न ही नोटिस जारी होने तथा पक्षकारो के केम्प कोर्ट के नोटिस तामिल होने की पुष्टि होती है जिससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने एकतरफा एवं पक्षकारो को सुनवाई का अवसर दिये बिना

अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से समर्थन योग्य नही माना जा सकता है ।

इसके अलावा प्रकरण के गुणावगुण पर विचार किया जाये तो अपीलाधीन भूमि के संबंध मे सरपंच ग्राम पंचायत नेतडा द्वारा जो अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 274 दिनांक 15–5–69 को स्वीकृत किया गया था वह आर.टी.एक्ट की धारा 42 (बी) का उल्लघन करते हुए अनुसुचित जाति के खातेदार की कृषि भूमि का म्युटेशन किसी स्वर्ण जाति के नाम से स्वीकृत किया जाने का उल्लेख अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रथम अपील मे किया गया था, तो अधीनस्थ न्यायालय को ऐसे गंभीर मामलो मे मयाद के बिन्दु पर उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को खारीज नही कर प्रकरण के गुणावगुण एवं उक्त कानूनी बिन्दु पर विचार करने तथा पक्षकारो को सुनवाई का अवसर दिया जाने के बाद निर्णय पारित किया जाना चाहिये था इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय विधि एवं न्यायसंगत नही होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायोचित नही है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट की उक्त अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बावडी द्वारा राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" केम्प कोर्ट नेतडा मे पारित किया गया एकतरफा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05–06–2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बावडी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए अपील मे मयाद बिन्दु एवं गुणावगुण पर पुनः विचार कर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 13–11–2020 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अरूण पुरोहित)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर